तारीख पेशी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-10-18	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत् आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 2/11/18 को पेश हो।	
2-11-18	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत् आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 27/12/18 को पेश हो।	
27-12-18	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संघ। द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रखा है। अतः पत्रावली [illegible] आदेशानुसार आगामी तारीख पेश [illegible] 30/1/19 को पेश है	
30/1/19	वकील वादी व वकील वादी ने प्रति-उत्तर दिया तरफा सर्वाधी हेतु निवेदन किया। प्रति-उत्तर वकील [illegible] तरफा सर्वाधी के जाती है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/2/019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)	
18-2-19	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायिक कार्य नहीं कर रहे है/~~हड़ताल पर~~ हैं पत्रावली गत् आदेशिका के अनुसार दि० 22/3/19 को पेश हो।	
22-3-19	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत् आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 10/4/19 को पेश हो।	
10-4-19	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत् आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 3/5/19 को पेश हो।	
2/5/019	वकील वादी व वकील UT व [illegible] I पक्ष [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] मूल वाद के निर्णय तक पक्षकारान में वाद शान्ति [illegible] के निमित्त [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने हेतु [illegible] निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। पत्रावली [illegible] मौखिक हुक्म तौर पर [illegible] शामिल की जावे। (जगदीश आर्य) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)	

Scanned by CamScanner